

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग



क्रमांक 1(1) न्याय/2012

जयपुर, दिनांक

31 OCT 2012

रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर ।

विषय:- नवसृजित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता जिला नागौर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.10.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि० 26.10.12 द्वारा सृजित एवं स्थापित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेड़ता जिला नागौर हेतु निम्नलिखित अस्थाई पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.02.2013 तक सृजित करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम पद	पदों की संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	1 पद
2.	स्टेनोग्राफर	1 पद
3.	रीडर	1 पद
4.	कनिष्ठ लिपिक	3 पद
5.	च०श्रे०कर्मचारी	7 पद

उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हेतु 3.14 लाख (अक्षरे तीन लाख चौदह हजार रुपये मात्र) की राशि नवीन आईटम्स क्रय करने हेतु निम्न प्रकार स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	मद	राशि (प्रति न्यायालय)
1.	फर्नीचर हेतु	2.50 लाख
2.	टेलीफोन-2 (दो) हेतु	0.02 लाख
3.	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर हेतु	0.62 लाख
	योग	3.14 लाख

उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का व्यय बजट शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, 00-116-राज्य प्रशासनिक अधिकरण, (01)-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान में से वहन किया जायेगा। अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने पर अलग से औचित्य के साथ इस विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

उक्त अधिकरण के भवन निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धता होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से तकमीना प्राप्त कर केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 101203233/FD/E-5/12 दिनांक 07.09.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है

भवदीय  
12/09/2012  
20/12/12  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त (व्यय-5)/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।
5. संबंधित पत्रावली।

उप शासन सचिव


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)143/12/ 4751

दिनांक : 17-11-2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
02. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नागौर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
03. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारी के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. सहायक लेखाधिकारी (बजट) की वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
06. ~~आरजेएस~~ (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload बाबत ।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)